पत्र स०–6 एस०एस०(6)03 / 2023– 1386 /

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
शुद्धि पत्र

विभागीय राज्यादेश संख्या–1943, दिनांक–10.06.2024 की कंडिका–9 में प्रस्तावित **"योजना के तहत स्वीकृत राशि की निकासी निदेशक (गव्य) अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। निदेशक (गव्य) सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे"** के साथ–साथ **"इस योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि निदेशक, गव्य द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से निकासी कर बी०एल०डी०ए०, पटना के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित किया जायेगा एवं स्वीकृत राशि पी०एल० खाता के माध्यम से बी०एल०डी०ए०, पटना द्वारा व्यय किया जायेगा"** शुद्ध रूप में पढ़ा एवं समझा जाय। शेष यथावत् रहेंगे।

2. इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय।

(गीता सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)03 / 2023– 1386 / पटना–15, दिनांक– 22 / 3 / 2025.

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)03 / 2023– 1386 / पटना–15, दिनांक– 22 / 3 / 2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा / बजट शाखा) / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)03 / 2023– 1386 / पटना–15, दिनांक– 22 / 3 / 2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)03 / 2023– 1386 / पटना–15, दिनांक– 22 / 3 / 2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, गव्य, बिहार, पटना / सहायक निदेशक, पशुपालन, सूचना एवं प्रसार कार्यालय, बिहार, पटना / परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना / सभी जिला गव्य विकास पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)03 / 2023– 1386 / पटना–15, दिनांक– 22 / 3 / 2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ गव्य निदेशालय के बजट शाखा / योजना शाखा / लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)03 / 2023– 1386 / पटना–15, दिनांक– 22 / 3 / 2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी / योजना शाखा–06 के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)03 / 2023– 1386 / पटना–15, दिनांक– 22 / 3 / 2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव / विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / महालेखाकार, लेखा परीक्षा, महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)03 / 2023– 1386 / पटना–15, दिनांक– 22 / 3 / 2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ आई० टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

पत्र सं०–6 एस०एस०(6)03 / 2023– 1943 /

19

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

स्मिता सिन्हा, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक–10 / 06 / 2024.

**अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

द्वारा :– ****आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **सात निश्चय–2 के तहत वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल ₹ 299.997 लाख (रुपये दो करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार सात सौ) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर राज्य के सभी वर्ग के पशुपालकों के दुधारू मवेशियों के पशु बीमा कराने की योजना की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या–2569, दिनांक–27.06.2023 के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त सात निश्चय–2 के तहत वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल ₹ 299.997 लाख (रुपये दो करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार सात सौ) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर राज्य के सभी वर्ग के पशुपालकों के दुधारू मवेशियों के पशु बीमा कराने की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न है।

2) इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी वर्ग के पशुपालकों के दुधारू मवेशियों की बीमा कर गंभीर बीमारी यथा Lumpy, HSBQ एवं अन्य कारणों से मृत्यु होने की स्थिति में पशुपालकों को होने वाले आर्थिक क्षति के सापेक्ष पशुधन बीमा से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, खेती पर निर्भरता कम करना एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाना है।

3) प्रस्तावित योजना एक चालू योजना है। इस योजना के क्रियान्वयन से निम्नांकित लाभ होंगे :–

(i) राज्य के पशुपालकों को आर्थिक प्रगति में सहायक होगा
(ii) पूँजी निर्माण में सहायता
(iii) व्यवसाय के प्रबंधन में सहायक होगा
(iv) दीर्घकालीन लक्ष्यों को पूरा किया जा सकेगा।

4) प्रस्तावित योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी/सम्बद्ध जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु इच्छुक आवेदकों द्वारा दुधारू मवेशी की बीमा कराने हेतु अपना आवेदन गव्य विकास निदेशालय के वेबसाईट पोर्टल पर ऑन–लाईन भरे जायेंगे।

5) प्रस्तावित योजना में प्रति दुधारू मवेशी का अधिकतम मूल्य ₹ 60,000/– निर्धारित की गयी है। 6% की दर से बीमा की कुल राशि ₹ 3,600/– होगी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 75% राशि ₹ 2,700/– अनुदान के रूप में देय होगा तथा शेष 25% राशि ₹ 900/– बीमा कम्पनी को पशुपालकों द्वारा भुगतान किया जायेगा।

6) प्रस्तावित योजना में दुधारू मवेशियों का बीमा हेतु बीमा कम्पनी एवं Intermediary का चयन निविदा के आधार पर किया जायेगा, जिनके द्वारा दुधारू मवेशियों का बीमा एक वर्ष के लिए किया जा सकेगा। योजना का कार्य संतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में उनकी सेवा का विस्तार किया जा सकेगा।

7) प्रस्तावित योजना के तहत वैसे दुधारू मवेशियों का बीमा कराया जायेगा, जो स्वस्थ हो तथा पशु चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो। योजना के तहत दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के सदस्यों के दुधारू पशुओं का बीमा में वरीयता दिया जायेगा।

8) बीमा कम्पनी द्वारा दुधारू मवेशियों में डाटा ईयर टैग लगाया जायेगा, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लाभूक की होगी।

9) प्रस्तावित योजना के तहत स्वीकृत राशि की निकासी निदेशक (गव्य) अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। निदेशक (गव्य) सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

10) चयनित बीमा कम्पनी को राशि का भुगतान सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से निकासी कर एकमुश्त किया जायेगा।

11) प्रस्तावित योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 11111 दुधारू मवेशियों का बीमा कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिस पर कुल ₹ 299.997 लाख (रुपये दो करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार सात सौ) मात्र सहायक अनुदान के रूप में व्यय अनुमानित है (व्यय विवरणी संलग्न)। आवश्यकतानुसार निदेशक (गव्य) द्वारा लक्ष्य में वृद्धि किया जा सकेगा।

12) प्रस्तावित योजना के तहत 3 प्रतिशत राशि निदेशक, गव्य इसके प्रचार–प्रसार के लिए कर्णांकित कराना सुनिश्चित करेंगे। पर्याप्त राशि की व्यवस्था नहीं होने पर अनुपूरक आगणन के माध्यम से राशि प्राप्त कर इसके तहत व्यय कराना सुनिश्चित किया जायेगा। प्रचार–प्रसार के लिए राशि सीधे सहायक निदेशक, पशुपालन, सूचना एवं प्रसार कार्यालय को निदेशक, गव्य उपलब्ध करायेंगे।

इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक निदेशक, सूचना एवं प्रसार कार्यालय, बिहार, पटना होंगे।

13) प्रस्तावित योजना के तहत होने वाले व्यय का विकलन सात निश्चय–2 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2404 डेरी विकास–उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–102 –डेरी विकास परियोजनाएँ, उप शीर्ष–0116–आधुनिक तकनीकों द्वारा दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण परियोजनाएँ के विषय शीर्ष 0116.31.06 सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण में उपबंधित राशि ₹ 300.00 लाख से व्यय की जायेगी।

14) चुँकि यह योजना सात निश्चय–2 के तहत एक चालू योजना है। योजना लागत मूल्य रुपये 5.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–3758, दिनांक–31.05.2017 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस० (6)03 / 2023 के पृष्ठ–24 / टि० दिनांक–05.06.2024.

15) सहायक अनुदान के रूप में प्राप्त राशि को स्कीम के सफल कार्यान्वयन पर व्यय कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र वित्त विभागीय परिपत्र–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम: 04–15 / 2009–9736 वि०(2), दिनांक–19.10.2011 के आलोक में निर्धारित समय–सीमा के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायेंगे तथा निदेशक, गव्य, बिहार, पटना प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र, महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना एवं संबंधित कोषागार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा इसकी सूचना विभाग को भी देना सुनिश्चित करायेंगे।

16) राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। सं०सं०–6 एस०एस०(6)03 / 2023 के पृष्ठ–23 / टि० तथा डायरी सं०–177, दिनांक–05.06.2024.

17) वित्त विभागीय पत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन

10/6/2024

(स्मिता सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:–6 एस०एस०(6)03 / 2023– 1943 / पटना–15, दिनांक–10 / 06 / 2024.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा / बजट शाखा) / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/6/2024

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)03/2023– 1943 /पटना–15,दिनांक–10/06/2024.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/6/2024

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)03/2023– 1943 /पटना–15,दिनांक–10/06/2024.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, गव्य, बिहार, पटना/सहायक निदेशक, पशुपालन, सूचना एवं प्रसार कार्यालय, बिहार, पटना/सभी जिला गव्य विकास पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/6/2024

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)03/2023– 1943 /पटना–15,दिनांक–10/06/2024.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ गव्य निदेशालय के बजट शाखा/योजना शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/6/2024

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)03/2023– 1943 /पटना–15,दिनांक–10/06/2024.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/योजना शाखा–06 के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

10/6/2024

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)03/2023– 1943 /पटना–15,दिनांक–10/06/2024.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय प्रधान सचिव के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/महालेखाकार, लेखा परीक्षा, महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

10/6/2024

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)03/2023– 1943 /पटना–15,दिनांक–10/06/2024.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ आई० टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ प्रेषित।

10/6/2024

सरकार के संयुक्त सचिव

(25

<u>व्यय विवरणी</u>

सात निश्चय–2 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में दुधारू मवेशियों के पशु बीमा योजना के लिए व्यय विवरणीः–

(राशि रुपये में)

क्र०	प्रति दुधारू मवेशी के लिए बीमा हेतु विभागीय अनुदान की राशि	दुधारू मवेशियों की संख्या	कुल अनुमानित व्यय राशि
1	2700	11111	2,99,99,700 / –

(रुपये दो करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार सात सौ) मात्र।

10/6/2024

सरकार के संयुक्त सचिव

1943
10/06/2024